मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–143 / 2024

महावीर प्रसाद पुत्र श्री हनुमान जाति सुथार साकिन बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. हनुमान पुत्र हजारीराम जाति सुथार साकिन बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. शिशपाल पुत्र हनुमान जाति सुथार साकिन बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. जसवन्त पुत्र हनुमान जाति सुथार साकिन बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. माया देवी पुत्री हनुमान जाति सुधार साकिन बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

दिनांक :–29/01/2025

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की ओर से श्री बलवीर मोहयल अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को **अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 आरटीए के अन्तर्गत निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि तहसील पीलीबंगा चक 18 एसपीडी – बी के खाता सं. 59 के प.नं. 54/380, 55/378, 55/379 की कुल 6.830 हैक. अ.क. मे से प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित 1/3 हिस्सा समस्त व ग्राम बड़ोपल बारानी के खाता सं. 442 के खसरा सं. 1663/1357 की कुल 3.726 हैक. बारानी मे से 1/3 हिस्सा समस्त व खाता सं. 443 के खसरा सं. 2638/1358 की कुल 1.822 हैक. बारानी में से 1/3 हिस्सा समस्त वादी व प्रतिवादी सं. 2–3 को ब. हि. ब. खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 29/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.02.06 15:31:29 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा